न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान .... बाबूलाल .... बनाम .... केसरीलाल ....

किस्म मुकदमा .... धारा-225 .... अपील संख्या .... 2021/93 ....

अभिभाषक अपीलान्ट .... श्री O.P. मेहता जी .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22/5/2024.	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पो. क्रम-3 के नोटिस जारी कर अभिभाषक अपीलान्ट को दस्ती दिये गये। पत्रावली वास्ते रेस्पो. क्रम-3 की तलबी हेतु दिनांक 05/6/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	नोटिस दस्ती दिनांक 5/6/24 को (हस्ताक्षर) 22/5 05-06-24
5.6.24	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट एवं उनके अभिभाषक को तीन बार रुक-रुक कर आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया, रेस्पो. क्र-3 की तलबी जरिये रजिस्ट्री ए० डी० आदिनांक तक नहीं करवायी गयी। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अदम हाजरी (मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

7.4.21

28.7.21

SA श्री पी.मेहता उपस्थित दिनांक 07.4.21 को पेश की गई

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवंपदेन राजस्व अपील अधिकारी

कोटा कैम्प बारां

बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति रेगर निवासी इकलेरा तहसील बारां

जिला बारां राज0 ----- अपीलांट

बनाम

1- केशारीलाल पुत्र देवलाल जाति तेली निवासी इकलेरा

2- प्रभारी चिकित्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकलेरा

3- राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

----- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26-2-2021 प्र0नं0 76/2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां,
बउनवान बाबूलाल बनाम सरकार अन्तिर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

महोदय,

अपीलांट निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत करता है :-

1- यहकि अधिनस्थ न्यायालय धारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यो का ठीक प्रकार से विवेचन नही किया गया न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया न विधिदृष्टांतो का अनुसरण किया गया मनमाना व विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 26-2-2021 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यहकि अपीलांट धारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां मे एक प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. मे प्रस्तुत किया गया जिसमे निवेदन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय बारां धारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

हस्ता0 बाबूलाल